न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : राजेन्द्र सिंह चांदावत, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 36 / 2024

प्रार्थी –

राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थी –

1. किशोर पुत्र सोहनराम जाति जाट निवासी गांव समदसर तह. श्री डूंगरगढ जिला बीकानेर (मैसर्स चौधरी मावा भण्डार एसबीआई एटीएम के सामने प्रताप जी की पोल बाडमेर का विक्रेता)
2. हरिराम पुत्र बीरबल जाति जाट निवासी रामवार्ड न.1 पिपिरा बीकानेर (मैसर्स चौधरी मावा भण्डार एसबीआई एटीएम के सामने प्रताप जी की पोल बाडमेर का मालिक)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) व 31(2) सहपठित धारा 51
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री हितेश गोयल, अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 04.09.2024

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) व 31(2) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी के प्रतिष्ठान **मैसर्स चौधरी मावा भण्डार एसबीआई एटीएम के सामने प्रताप जी की पोल बाडमेर** पर निरीक्षण दिनांक **16.0**[illegible] विक्रय हेतु रखा गया खाद्य पदार्थ **खोया 10** किलो खुले [illegible] मजन को विक्रय हेतु रखा पाया, को मिलावट का होने के [illegible] **खोया** [illegible] मूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या **पी–2469** [illegible] कर इसकी जांच [illegible] सुरक्षा और

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Singh Chandawat
Date: 2024.12.06 16:12:25 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एव अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर

मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र–5(ए) भरकर अप्रार्थी एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **मीठा मावा (मिठाई)** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा रिपोर्ट दिनांक **29.02.2024** में उक्त खाद्य पदार्थ **खोया** का नमूना **असुरक्षित खाद्य (unsafe food) एवं अवमानक** पाये जाने पर अप्रार्थी को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थी द्वारा कोई जवाब ऐतराज प्रस्तुत नहीं किया गया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) एवं 31(2)का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी जरिये अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी द्वारा लिखित जवाब पेश कर निवेदन किया गया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विप्रार्थीगण के रूबरू उक्त सेम्पलिंग की कार्यवाही नहीं की गई तथा जो जांच की गई वह भी विधि से परे जाकर की गई। अतः जवाब पेश कर निवेदन किया कि विप्रार्थीगण के विरूद्ध उपरोक्त कार्यवाही निरस्त फरमाई जावे।

3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक **29.02.2024** में उक्त नमूना **असुरक्षित खाद्य (unsafe food) तथा अवमानक** स्तर का पाया गया है। नमूना जांच रिपोर्ट में **B.R.Reading of extracted fat at 40 degree C** का मानक स्तर अधिकतम **40.0 to 44.0** के मुकाबले **48.10, Iodine value or extract fat** का मानक स्तर अधिकतम **25.0 to 38.0** के मुकाबले **57.69 and Fat content of the finished product (on dry weight basis)** का मानक स्तर **Not less than 30.0** के मुकाबले **26.04%** पाया गया जो मानक स्तर का नहीं है। [illegible] पदाभिहित अधिकारी द्वारा अप्रार्थी को धारा 46 की उप–धारा [illegible] गया, जिस पर अप्रार्थी द्वारा कोई जवाब ऐतराज प्रस्तुत नहीं किया गया। [illegible] प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट में नमूना असुरक्षित खाद्य [illegible] प्रार्थी की ओर से यह परिवाद प्रस्तुत होने पर जरिये नोटिस जवाब हेतु अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Singh Chandawat
Date: 2024.12.06 16:12:25 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर (राज.)
सत्यमेव जयते

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

लिखित जवाब प्रस्तुत कर प्रकट किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विप्रार्थीगण के रूबरू उक्त सेम्पलिंग की कार्यवाही नहीं की गई तथा जो जांच की गई वह भी विधि से परे जाकर की गई। अतः जवाब पेश कर निवेदन किया कि विप्रार्थीगण के विरूद्ध उपरोक्त कार्यवाही निरस्त फरमाई जावे। अप्रार्थी जो खाद्य पदार्थ अपने प्रतिष्ठान में रखकर ग्राहकों को विक्रय किया जा रहा है तो उसकी गुणवता के लिए उसका उत्तरदायित्व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अन्तर्गत अप्रार्थी का है। लिहाजा अप्रार्थी के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्म प्रमाणित है।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थी के विरूद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर संयुक्त रूप से **रूपये 20,000/–** का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष मे जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5. आदेश आज दिनांक 04.09.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह चांदावत)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Singh Chandawat
Date: 2024.12.06 16:12:25 IST
Reason: SelfAttested